हडको की जागरूकता (व्हिसल ब्लोअर) नीति ।

सार्वजनिक हित प्रकटन एवं सूचना देने वाले के संरक्षण पर भारत सरकार के संकल्प को सतर्कता विभाग द्वारा 16 सितम्बर, 2004 के परिपत्र सं.एफ सं. हडको/सतर्कता 274/2003/862 के द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में लाया गया था । इस सरकारी संकल्प की महत्वपूर्ण विशेषताओं को अमल में लाया जाता है और हडको के लिए निम्नलिखित "जागरूकता नीति" को नमूनेबद्ध किया जाता है ।

1. केन्द्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप या कार्यालय के अनुचित उपयोग पर प्रकटन/खुलासे के लिए निम्नलिखित शिकायतों को प्राप्त करने हेतु "प्राधिकृत नामित एजेन्सी" है ।
2. यह आयोग गोपनीय शिकायत की पहचान रखेगा ।
3. शिकायत बंद/सुरक्षित लिफाफे में की जानी चाहिए ।
4. लिफाफा सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सम्बोधित होना चाहिए एवं उस लिफाफे पर "सार्वजनिक हित प्रकटन के अंतर्गत शिकायत" लिखा हुआ होना चाहिए । यदि लिफाफे पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है और वह बंद है, तो भी शिकायतकर्ता का संरक्षण करना आयोग के लिए संभव नहीं होगा एवं शिकायत को आयोग की सामान्य शिकायत नीति के अनुसार ही समझा जाएगा । शिकायतकर्ता को शिकायत की शुरूआत या शिकायत के अंत या संलग्न पत्र में/पर अपना नाम एवं पता देना होगा ।
5. आयोग झूठी/मिथ्या शिकायतों पर विचार नहीं करेगा ।
6. शिकायत की विषय /संदर्भ सूची सावधानी पूर्वक ड्राफ्ट की जानी चाहिए, ऐसा कोई विवरण या संकेत इंगित न किया जाए जिससे कि उसकी पहचान हो सके । तथापि, शिकायत का विवरण विशिष्ट एवं सत्यापन योग्य होना चाहिए ।
7. व्यक्ति की पहचान के संरक्षण के क्रम में आयोग कोई पावती (एक्नालिज) जारी नहीं करेगा एवं जागरूककर्ताओं (व्हिसल ब्लोअर) को परामर्श दिया जाता है कि वह अपने स्वयं के हित में आयोग के साथ आगामी कोई पत्राचार न करें । आयोग आश्वस्त करता है कि सत्यापन योग्य चलाए जा रहे मामले के तथ्यों के आधार पर यह आयोग भारत सरकार के संकल्प के अंतर्गत यथा व्यवस्थित आवश्यक कार्रवाई करेगा ।
8. यह आयोग भडकाने/बहकाने वाली शिकायतों/परेशान करने वाली शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है ।

उपरोक्त शिकायत तंत्र के अलावा, हडको कर्मचारीगण, उधारकर्ता या किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी विषय, जो संगठन के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, से संबंधित कोई भी सूचना हो, तो उसको निम्नलिखित अधिकार हैं : -

i) वह इस संबंध में हडको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या प्रमुख सतर्कता अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं ।

ii) उनके पास लेखा-परीक्षा समिति के पास पहुँचने का अधिकार है ।

iv) कर्मचारी की पहचान गोपनीय रखी जाएगी ।

iv) केन्द्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के परिपत्र में उपरोक्त वर्णित क्रम संख्या 4 में दी गई प्रक्रिया को इससे जोड़ा जाना चाहिए । शिकायत करने वाले कर्मचारी/व्यक्ति की सूचना यदि झूठी या मिथ्या नहीं है, तो उस कर्मचारी को अनुचित ट्रीटमेंट तथा अन्य प्रतिकूल रोजगार प्रैक्टिस से संरक्षण दिया जाएगा ।

इस नीति की भावना ईमानदारी को प्रोजेक्ट करने एवं इसके प्रचालनों में पूर्ण पारदर्शिता लाने तथा अनाचारों पर नजर रखने में संगठन को सहायता प्रदान करने के लिए लोगों जागरूक करने से है ।

केंद्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लॉक 'ए',
जीपीओ परिसर, आईएनए,
नई दिल्ली – 110023
दिनांक -13 फरवरी 2012

कार्यालय आदेश सं. 04/02/12

विषय: जनहित प्रकटन तथा सूचना देने वालों की सुरक्षा पर भारत सरकार का संकल्प (पीआइडीपीआइ) मार्गनिर्देशीकाएं।

1. भारत सरकार ने जनहित प्रकटन तथा सूचना देने वालों की सुरक्षा हेतु संकल्प (पीआइडीपीआइ), 2004 के अंतर्गत भ्रष्टाचार के विरूद्ध किसी भी आरोप पर प्रकटन या कार्यालय के दुरूपयोग हेतु लिखित शिकायत प्राप्त करने तथा उपयुक्त **कार्रवाई** के लिए सुझाव देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग, नामित एजेंसी का गठन किया है. तदनुसार, आयोग ने पीआइडीपीआइ संकल्प के अंतर्गत शिकायतकर्ता/सूचनादाता की पहचान सुरक्षित रखने के लिए विस्सल ब्लोअर शिकायतों को दर्ज करने की प्रक्रिया पर दिनांक 17/05/2004 की परिपत्र संख्या 33/5/2004 में दिशानिर्देश तथा सार्वजनिक सूचना जारी की है।

2. आयोग ने पिछले कुछ वर्षो में यह पाया है कि बहुत से शिकायतकर्ता पीआइडीपीआई संकल्प के अंतर्गत आयोग में विस्सल ब्लोअर शिकायते आयोग द्वारा बताई गयी प्रक्रिया के अनुसार दर्ज नहीं कराते हैं। आयोग सभी संगठनो/विभागों के कर्मचारियों सहित सभी लोगों में विस्सल ब्लोअर शिकायते दर्ज कराने हेतु बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाने पर बल देगा। आयोग, सभी मंत्रालय/विभाग/पीएसयू/बैंक/बीमा कम्पनी / स्थानीय प्राधिकरण /सोसाइटी आदि के केंद्रीय सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) से आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशो को उनकी वेबसाइट, मुख्यतः संस्थान के इंट्रानेट, इन्टरनल जरनल, प्रकाशन के माध्यम से और जनता में, विशेषकर कार्यालयों के कर्मचारियों को उनके सम्बंधित संगठनो/विभागों में हो रही भ्रष्टाचारी गतिविधियाँ या कार्यालय के दुरूपयोग की जानकारी केंद्रीय सतर्कता आयोग को जानकारी देने हेतु जागरूकता बढाने के लिए सम्मलेन/जागरूकता कार्यक्रम कराने का सुझाव देता है जिससे की पीआईडीपीआइ संकल्प का प्रचार किया जा सके।

(जे विनोद कुमार)
विशेष कार्य अधिकारी

प्रतिलिपि:
सभी मंत्रालय/विभाग/पीएसयू/बैंक/बीमा कम्पनी/स्थानीय प्राधिकरण/सोसाइटी के केंद्रीय सतर्कता अधिकारी (सीवीओ)

सं. 004/वीजीएल/26

भारत सरकार

केंद्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लॉक 'ए',
जीपीओ काम्प्लेक्स, आईएनए,
नई दिल्ली – 110023
दिनांक -17 मई, 2004

कार्यालय आदेश सं. 33/5/2004

विषय: जनहित प्रकटन तथा सूचना देने वालों की सुरक्षा पर भारत सरकार का संकल्प

1. भारत सरकार ने भ्रष्टाचार के विरूद्ध किसी भी आरोप पर प्रकटन या कार्यालय के दुरूपयोग हेतु लिखित शिकायत प्राप्त करने तथा उपयुक्त **कार्रवाई** के लिए सुझाव देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग, एक नामित एजेंसी का गठन किया है।
2. उपर्युक्त संकल्प के सन्दर्भ में केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी की गयी सार्वजनिक सूचना की प्रतिलिपि संलग्न है. इस संकल्प के अंतर्गत आयोग द्वारा भेजी गयी शिकायतों के सन्दर्भ में सभी केंद्रीय सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) को निम्नलिखित **कार्यवाही** करने की आवश्यकता है :

   (i) सीवीओ को दर्ज करायी गयी शिकायत के मुद्दे से सम्बंधित सभी कागजात/दस्तावेज प्राप्त कर लेने चाहिए तथा शीघ्र ही शिकायत की जांच की जानी चाहिए.जांच की रिपोर्ट 2 सप्ताह के अंतर्गत आयोग को जमा करानी है

   (ii) सीवीओ को यह सुनिश्चित करना होगा की किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध "व्हीसल ब्लोअर" का कथित कारण/संदेह व्यक्ति होने पर सम्बंधित प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा दंडनीय कार्यवाही ना की जाए।

   iii) ऐसी शिकायतों के लिए अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु आयोग के दिशानिर्देश की प्राप्ति के बाद सीवीओ को डीए द्वारा आगे की कार्यवाही का पालन करना है तथा यदि कोई विलम्ब होता है तो इस विषय में भी आयोग को सूचित करते रहे I

   iv) इस आदेश की विषयवस्तु पर सचिव/सीईओ/सीएमडी का ध्यान आकर्षित किया जाये।

   सभी सीवीओ अनुपालन के लिए उपर्युक्त दिशानिर्देशों पर ध्यान दें।

(सुजीत बैनर्जी)
सचिव

सभी प्रमुख सतर्कता अधिकारी

केंद्रीय सतर्कता आयोग

प्रेस विज्ञप्ति

1. भारत सरकार ने भ्रष्टाचार के विरूद्ध किसी भी आरोप पर प्रकटन या कार्यालय के दुरूपयोग उपयुक्त कार्रवाई के सुझाव हेतु लिखित शिकायत प्राप्त करने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), एक नामित एजेंसी का गठन किया है।

2 आयोग द्वारा इस मामले से संबंधित लिया गया निर्णय केंद्रीय सरकार या किसी भी केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत अथवा इसके द्वारा स्थापित संस्था तथा सरकारी कंपनियां, सोसाइटी या केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित या अधिकृत स्थानीय प्राधिकरण के सभी कर्मचारी इससे बाध्य होंगे। **राज्य सरकार द्वारा चयनित कर्मचारी तथा राज्य सरकार और इसकी संस्थाओं की गतिविधियां इस आयोग की सीमा से बाहर होंगे।**

3. इस मामले में ऐसी शिकायतें प्राप्त करने वाले आयोग को शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखनी होगी। सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि इस संकल्प के अंतर्गत दर्ज कराई जाने वाली शिकायतों पर निम्न बातें लागू होंगी:-

i) शिकायत एक बंद/सुरक्षित लिफाफे में होनी चाहिए।

ii) लिफाफा सचिव,केंद्रीय सतर्कता आयोग के नाम पर होना चाहिए और उस पर "**जनहित याचिका प्रकटन के अन्तर्गत शिकायत**" लिखा होना चाहिए। यदि लिफाफे पर कुछ नही लिखा हुआ पाया गया और वह बंद नही हुआ तो आयोग इस शिकायत को उपर्युक्त रेसोलुशन के अंतर्गत सुरक्षित नही रख पायेगा तथा शिकायत को आयोग की नीति के अनुसार सामान्य शिकायत माना जायेगा। शिकायतकर्ता को शिकायत के शुरू या अंत में तथा संलग्न पत्र में अपना नाम और पता देना होगा।

iii) आयोग बिना नाम वाली शिकायत को दर्ज नहीं करेगा।

iv) शिकायत इस तरह लिखी होनी चाहिए।

शिकायत सावधानीपूर्वक लिखी होनी चाहिए जिससे शिकायतकर्ता की पहचान से सम्बंधित **कोई विवरण या क्लू ना मिल पाए।**

v) शिकायतकर्ता की पहचान सुरक्षित रखने हेतु कोई पावती जारी नही करेगा तथा व्हीस्ल ब्लोअर को आगे से अपने फायदे के लिए आयोग के साथ **किसी भी तरह का पत्राचार न करने की सलाह दी जाती है।** आयोग विश्वास दिलाता है की तथ्यों की जांच करने हेतु ऊपर दिए गए भारत सरकार के संकल्प अनुसार सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएँगी। यदि आगे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी तो आयोग शिकायतकर्ता से संपर्क करेगा।

4. आयोग भड़काऊ किस्म के या अनावश्यक शिकायतों के लिए इस संकल्प के अंतर्गत शिकायतकर्ता के खिलाफ ठोस कदम उठा सकता है।

5. यह अधिसूचना आयोग की **वेबसाइट http://www.cvc.nic.in** पर उपलब्ध है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग, आईएनए,सतर्कता भवन, नई दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

सचिव

केंद्रीय सतर्कता आयोग

जन सूचना

जनहित प्रकटन तथा सूचना देने वालों की सुरक्षा पर भारत सरकार का संकल्प

1. भारत सरकार ने भ्रष्टाचार के विरूद्ध किसी भी आरोप पर प्रकटन या कार्यालय के दुरूपयोग उपयुक्त कार्रवाही के सुझाव हेतु लिखित शिकायत प्राप्त करने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), एक नामित एजेंसी का गठन किया है।

2 आयोग द्वारा इस मामले से सम्बंधित लिया गया निर्णय केंद्रीय सरकार या किसी भी केंद्रीय अधिनियम के अन्तर्गत अथवा इसके द्वारा स्थापित संस्था तथा, सरकारी कंपनियां,सोसाइटी या केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित या अधिकृत स्थानीय प्राधिकरण के सभी कर्मचारी इससे बाध्य होंगे। **राज्य सरकार द्वारा चयनित कर्मचारी तथा राज्य सरकार और इसकी संस्थाओं की गतिविधियां इस आयोग की सीमा से बाहर होंगे।**

3. इस मामले में ऐसी शिकायतें प्राप्त करने वाले आयोग को शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखनी होगी। **सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि इस संकल्प के अंतर्गत दर्ज कराई जाने वाली शिकायतों पर निम्न बातें लागू होंगी**:-

i) शिकायत एक बंद/सुरक्षित लिफाफे में होनी चाहिए।

ii) लिफाफा सचिव,केंद्रीय सतर्कता आयोग के नाम पर होना चाहिए और उस पर **"जनहित याचिका प्रकटन के अन्तर्गत शिकायत"** लिखा होना चाहिए. यदि लिफाफे पर कुछ नही लिखा हुआ पाया गया और वह बंद नही हुआ तो आयोग इस शिकायत को उपर्युक्त संकल्प के अंतर्गत सुरक्षित नही रख पायेगा तथा शिकायत को आयोग की नीति के अनुसार सामान्य शिकायत माना जायेगा। शिकायतकर्ता को शिकायत के शुरू या अंत में तथा संलग्न पत्र में अपना नाम और पता देना होगा।

iii) **आयोग बिना नाम वाली शिकायत** को दर्ज नहीं करेगा।

iv) शिकायत सावधानीपूर्वक लिखी होनी चाहिए जिससे की शिकायतकर्ता की पहचान से सम्बंधित **कोई विवरण या क्लू ना मिल पाए।**

v) शिकायतकर्ता की पहचान सुरक्षित रखने हेतु कोई पावती जारी नही करेगा तथा व्हीस्ल ब्लोअर को आगे से अपने फायदे के लिए आयोग के साथ **किसी भी तरह का पत्राचार न करने की सलाह दी जाती है।** आयोग विश्वास दिलाता है की तथ्यों की जांच करने हेतु ऊपर दिए गए भारत सरकार के संकल्प अनुसार सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएँगी। यदि आगे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी तो आयोग शिकायतकर्ता से संपर्क करेगा।

4 आयोग भड़काऊ किस्म के या अनावश्यक शिकायतों के लिए इस संकल्प के अंतर्गत शिकायतकर्ता के खिलाफ ठोस कदम उठा सकता है।

5 इस अधिसूचना के विवरण की प्रति आयोग की **वेबसाइट http://www.cvc.nic.in** पर उपलब्ध है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग, आईएनए,सतर्कता भवन, नई दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

सचिव

केंद्रीय सतर्कता आयोग